"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 473] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2016— पौष 8, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-3/2008/1 (एक). — छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणी के सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिये जारी "राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2008" की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक, दिनांक 27 अगस्त, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियम में :-

सेवा /पद के श्रेणी के सरल क्रमांक "3. राज्य लेखा सेवा " के स्थान पर निम्नलिखित सरल क्रमांक, शब्द और अंक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"3. छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ 6-3/2008/1 (एक). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1 (एक), दिनांक 29-12-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

Naya Raipur, the 29th December 2016

NOTIFICATION

No. F 6-3/2008/1 (One) .— The Chhattisgarh Government "State Service Examination Rule" makes following further amendment in the notification No. F 6-3/2008/1/One, issued on 27 August, 2008 for the recruitment in different services/post by Chhattisgarh Public Service Commission.

AMENDMENT

In the said rules :-

Serial number "3. State Accounts Service" the heading Class of Service/Post, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

"3. Chhattisgarh State Finance Service"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIDHI CHHIBBER, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.